विचारण संख्या 47/2026, बथनाहा थाना कांड संख्या 162/2025

आदेश दिनांक 10.07.2026

बिहार सरकार बनाम सुमित कुमार उर्फ गोलू एवं अन्य

आ दे श

चार अभियुक्तों मे से दो अभियुक्त सुमित कुमार एवं राकेश प्रसाद की हाजरी दी गई तथा शेष दो अभियुक्तों की ओर से प्रतिनिधित्व पत्र आज हेतु स्वीकृत किया गया। वाद पुकारा गया। बचाव पक्ष की ओर से कुल चार अभियुक्तों मे से दो अभियुक्त आशा देवी एवं बजरंगी कुमार की ओर से उन्मोचन आवेदन धारा 250, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 30.06.2026 को आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदक अभियुक्तगण का अपने आवेदन के माध्यम से कथन है कि अभियुक्त संख्या 1 अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ गोलू की माता है और अभियुक्त संख्या 2 सुमित कुमार का फुफेरा भाई है, जो लंबे समय से दिल्ली में रह रहा है। अभियुक्त संख्या 2 बजरंग कुमार का नाम सूचना वारंट में नहीं है और वह दूसरे गांव का निवासी है, लेकिन पुलिस ने अन्य नामजद अभियुक्तों के साथ उसके नाम पर आरोप पत्र दाखिल किया है। मामले की सुनवाई तय हो चुकी है और दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। प्राथमिकी के अनुसार, साथ हीं दर्ज बयान धारा 183, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कांड दैनिकी के पैरा 35 मे उल्लिखित है, इन उल्लिखित अपराधों के लिए दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई सबूत नहीं है। जांच के दौरान किसी भी गवाह ने मुखबिर के साथ इन दोनों आरोपियों द्वारा किसी भी अवैध कृत्य के बारे में कुछ नहीं कहा है और पुलिस ने मुखबिर की मिलीभगत से गलत तरीके से आरोप पत्र दाखिल किया। संबंधित न्यायालय के द्वारा आशा देवी को अग्रिम जमानत आवेदन 147/2025 एवं बजरंग कुमार को अग्रिम जमानत आवेदन 216/2025 के तहत जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। अतः आवेदकगण को संदर्भित वाद से आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध वाद की प्रक्रिया समाप्त करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष के उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। अभियोजन द्वारा अपने बहस में उक्त आवेदन का विरोध किया गया है। अभियोजन का कथन है कि अभियुक्त द्वारा दाखिल आरोपमुक्ति आवेदन पूर्णतः मनगढंत, भ्रामक तथा कानून की सुस्थापित प्रक्रियाओं को बाधित करने के उद्देश्य से दायर किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 96, 3(5) एवं पॉक्सो की धारा 4, 6 एवं 8 के अन्तर्गत नाबालिग पीड़िता के साथ जघन्य यौन अपराध कारित करने का सीधा आरोप है। मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है जिसमे एवक नाबालिग पीड़िता के साथ जघन्य यौन अपराध कारित किया गया है। पीड़िता द्वारा धारा 183, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत न्यायालय के समक्ष

दर्ज कराये गये बयानों में अभियुक्तों के विरूद्ध स्पष्ट, प्रत्यक्ष और गंभीर आरोप लगाए गए है जो मामले की सम्पुष्टि करते है, इस स्तर पर आरोपमुक्ति खारिज करने के लिए स्वतः पर्याप्त विधिक आधार है। अतः अभियुक्तों द्वारा दाखिल उक्त आवेदन खारिज कर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप गठन की प्रकिया करने की प्रार्थना की गयी है।

बचाव पक्ष का उन्मोचन आवेदन धारा 250, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम दिनांक 30.06.2026 पर उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण आशा देवी एवं बजरंगी कुमार एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 69, 3(5) एवं धारा 4, 6 एवंच 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। ततपश्चात् आरोप पत्र के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 69, 96, 3(5) एवं धारा 4, 6 एवं 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तों एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है। कांड दैनिकी की कंडिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिनी ने कांड दैनिकी कि कंडिका 2 मे अपने पुनः बयान मे घटना का समर्थन की है। कांड दैनिकी की कंडिका 6, 7 एवं 8 मे अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप गठन हेतु प्रर्याप्त सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण की ओर से दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 30.06.2026 को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 30.06.2026 को खारिज किया जाता है तथा इस वाद के अभियुक्तों को आदेश दिया जाता है कि अगली नियत तिथि दिनांक 27.07.2026 को आरोप गठन हेतु न्यायालय में सदेह उपस्थित रहें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,
Ashok Kumar
[अशोक कुमार मांझी]
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्
–सह–विशेष न्यायाधीश पॉक्सो,
सीतामढी
दिनांक 10.07.2026.